न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 132/2017 अपील

1. श्री कैलाश चन्द्र शर्मा गोद पुत्र इन्द्रदेव शर्मा निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्रीमती लादी पुत्री इन्द्रदेव शर्मा पत्नी माधुलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर हाल निवासी अड़सीपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

– प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार, सहाड़ा बमामले नामान्तरकरण सं0 3245 निर्णय दिनांक 10.07.2017

उपस्थित –
1. श्री राकेश सुराणा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री प्रकाश सारस्वत अधिवक्ता – प्रत्यर्थी सं. 01 की ओर से
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 02.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार सहाड़ा को बमामलें नामान्तरकरण सं. 3245 निर्णय दिनांक 10.07.2017 के खिलाफ दिनांक 30.11.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्द्रदेव पिता रामलाल ब्राह्मण के नाम से संयुक्त खातेदारी से ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा में कृषि भूमियां स्थित हैं जो आराजी नम्बर 5692, 5693,5856,5857,5858,5861,5862, 5863,5872,6218,6219,6222, 6259,6260,6261, 6262 कुल किता 16 कुल रकबा 5.6300 हैक्ट. हैं जिसमें इन्द्रदेव पिता रामलाल का हक हिस्सा एवं अधिकार निहित हैं। इन्द्रदेव पिता रामलाल के कोई जाईन्दा पुत्र नही रहा और पुत्री प्रत्यर्थी लादी हैं । इन्द्रदेव के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं होने से अपीलार्थी को गोद लिया जिसका गोदनामा पंजीकृत करवाया जो दिनांक 29.09.2004 को निष्पादित कर पंजीकृत करवाया जो उप पंजीयक सहाडा मुकाम गंगापुर में क्रम सं. 2004000025 पर दिनांक 29.09.2004 को पंजीबद्ध किया गया । अपीलार्थी गोद पुत्र ने इन्द्रदेव की सेवा सुश्रुषा की एवं इन्द्रदेव के जीवनकाल में ही प्रत्यर्थी लादी के पुत्र पुत्रियों की शादी हुयी उसमें मायरा आदि भी अपीलार्थी ने ही की । इन्द्रदेव ने अपने

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जीवनकाल में ही एक वसीयतनामा दिनांक 06.04.2017 को टाईप करा निष्पादित किया, जो उनके अन्य दस्तावेजों के साथ पड़ा हुआ मिला । इन्द्रदेव ने वसीयतनामें से अचल सम्पतियां, जायदाद एवं आराजियात में प्रत्यर्थी को कोई हक अधिकार नहीं दिये हैं। प्रत्यर्थी को चल सम्पतियां सोने चांदी के जेवर एवं नगद रूपये तथा बैंक की एफ.डी. आर. बनाकर दी । इन्द्रदेव ने प्रत्यर्थी को चल सम्पतियां इसलिए दी कि प्रत्यर्थी बोलने में असक्षम हैं, इसलिए उसे अचल सम्मत्तियों में हिस्सा नहीं दिया । इन्द्रदेव द्वारा निष्पादित वसीयतनामें में पड़ौसियों की साख दी हुई हैं जो वसीयतनामा इन्द्रदेव ने अपनी स्वेच्छा से 500/– रूपये के स्टाम्प पर टाईप करा निष्पादित दिनांक 06.04. 2017 को किया जो वसीयतनामा इन्द्रदेव का अन्तिम वसीयतनामा हैं। ग्राम सहाड़ा के पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं. 3245 भरकर प्रस्तुत किया हैं जिसमें अपीलार्थी का नाम गोद के आधार पर एवं प्रत्यर्थी का नाम भी दर्ज किया हैं । इन्द्रदेव की वसीयत के अनुसार प्रत्यर्थी को कोई हक अधिकार नहीं दिया हैं, इसलिये नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी का नाम उक्त आराजियात से हटाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। प्रत्यर्थी का नाम नामान्तरण दर्ज होने से प्रत्यर्थी कभी भी उक्त आराजियात में हक हिस्से को खुर्द बुर्द कर सकते हैं , जिससे अपीलार्थी अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुने एवं बिना साक्ष्य लिये सही तथ्यों की जानकारी किये बिना ही नामान्तरण स्वीकृत कर दिया हैं, जबकि अपीलार्थी ने पटवारी हल्का को वसीयतानामें की फोटो प्रति पेश की थी । नामान्तरकरण सं. 3245 दिनांक 10.07.2017 के स्वीकृत होने की अपीलार्थी को जानकारी नहीं थी । दिनांक 30.10.2017 को जमाबन्दी की नकल लेने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुयी । मियाद की छूट प्रदान करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं । अतः निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरण सं. 3245 दिनांक 10.07.2017 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.12.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किये गये ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि इन्द्रदेव पिता रामलाल ब्राह्मण के नाम से संयुक्त खातेदारी से ग्राम सहाड़ा तहसील सहाड़ा में कृषि भूमियां स्थित हैं जो आराजी नम्बर 5692, 5693, 5856, 5857, 5858, 5861, 5862, 5863, 5872, 6218, 6219, 6222, 6259, 6260,6261, 6262 कुल किता 16 कुल रकबा 5.6300 हैक्ट. हैं जिसमें इन्द्रदेव पिता रामलाल का हक हिस्सा एवं अधिकार निहित हैं। इन्द्रदेव पिता रामलाल के कोई जाईन्दा पुत्र नही रहा और पुत्री प्रत्यर्थी लादी हैं । इन्द्रदेव के कोई जाईन्दा पुत्र नहीं होने से अपीलार्थी को गोद लिया जिसका गोदनामा पंजीकृत करवाया जो दिनांक 29.09.2004 को निष्पादित कर पंजीकृत करवाया जो उप पंजीयक सहाडा मुकाम गंगापुर में कम सं. 2004000025 पर दिनांक 29.09.2004 को पंजीबद्ध किया गया । अपीलार्थी गोद पुत्र ने इन्द्रदेव की सेवा सुश्रुषा की एवं इन्द्रदेव

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

के जीवनकाल में ही प्रत्यर्थी लादी के पुत्र पुत्रियों की शादी हुयी उसमें मायरा आदि भी अपीलार्थी ने ही की । इन्द्रदेव ने अपने जीवनकाल में ही एक वसीयतनामा दिनांक 06.04.2017 को टाईप करा निष्पादित किया, जो उनके अन्य दस्तावेजों के साथ पड़ा हुआ मिला । इन्द्रदेव ने वसीयतनामें से अचल सम्पतियां, जायदाद एवं आराजियात में प्रत्यर्थी को कोई हक अधिकार नहीं दिये हैं। प्रत्यर्थी को चल सम्पतियां सोने चांदी के जेवर एवं नगद रूपये तथा बैंक की एफ.डी.आर. बनाकर दी । इन्द्रदेव ने प्रत्यर्थी को चल सम्पतियां इसलिए दी कि प्रत्यर्थी बोलने में असक्षम हैं, इसलिए उसे अचल सम्मत्तियों में हिस्सा नहीं दिया । इन्द्रदेव द्वारा निष्पादित वसीयतनामें में पड़ौसियों की साख दी हुई हैं जो वसीयतनामा इन्द्रदेव ने अपनी स्वेच्छा से 500/– रूपये के स्टाम्प पर टाईप करा निष्पादित दिनांक 06.04.2017 को किया जो वसीयतनामा इन्द्रदेव का अन्तिम वसीयतनामा हैं। ग्राम सहाड़ा के पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं. 3245 भरकर प्रस्तुत किया हैं जिसमें अपीलार्थी का नाम गोद के आधार पर एवं प्रत्यर्थी का नाम भी दर्ज किया हैं । इन्द्रदेव की वसीयत के अनुसार प्रत्यर्थी को कोई हक अधिकार नहीं दिया हैं, इसलिये नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी का नाम उक्त आराजियात से हटाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। प्रत्यर्थी का नाम नामान्तरण दर्ज होने से प्रत्यर्थी कभी भी उक्त आराजियात में हक हिस्से को खुर्द बुर्द कर सकते हैं , जिससे अपीलार्थी अपनी पैतृक आराजियात से वंचित हो जायेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुने एवं बिना साक्ष्य लिये सही तथ्यों की जानकारी किये बिना ही नामान्तरण स्वीकृत कर दिया हैं, जबकि अपीलार्थी ने पटवारी हल्का को वसीयतानामें की फोटो प्रति पेश की थी । वसीयत का पंजीयन करवाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः वसीयत के आधार पर केवल मात्र अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण सं. 3245 स्वीकृत किया जाना चाहिये था । लेकिन तहसीलदार सहाडा ने नामान्तरकरण सं. 3245 में अपीलार्थी के साथ लादी पुत्री इन्द्रदेव का भी नाम अंकित कर दिया हैं जो विधि विरूद्व हैं । जिससे अपीलार्थी की अपील स्वीकार करायी जावे । निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरण सं. 3245 दिनांक 10.07.2017 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश पारित फरमाया जावे ।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि श्री इन्द्रदेव पिता रामलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर ने जो वसीयतनामा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 06.04.2017 को लिखा गया हैं , रजिस्टर्ड नहीं है। वसीयनामा में अंकित ग्राम सहाडा की आराजी कृषि भूमि श्री इन्द्रदेव की स्वअर्जित नहीं होकर पैतृक सम्पति हैं। पैतृक सम्पति की वसीयत नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त करायी जावे ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहपुरा (राज.)

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया । ग्राम सहाडा के आराजी नं. 5692, 5693, 5856, 5857, 5858, 5861, 5862, 5863, 5872, 6218, 6219, 6222, 6259, 6260, 6261, 6262 कुल किता 16 कुल रकबा 5.6300 हैक्ट. भूमि इन्द्रदेव पिता रामलाल ब्राह्मण वगैरह के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी । इन्द्रदेव पिता रामलाल ब्राह्मण निवासी गंगापुर के दिनांक 04.05.2017 को फौत होने पर रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 09.02.2004 के आधार पर विरासत में कैलाश चन्द्र पिता मोहनलाल गोद पुत्र इन्द्रदेव का नाम एवं लादी पुत्री इन्द्रदेव का साकिन गंगापुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु नामान्तरकरण सं. 3245 दिनांक 10.07.2017 को तहसीलदार सहाडा द्वारा स्वीकृत किया गया हैं । उक्त नामान्तरकरण के संबंध में अपीलार्थी ने अपील वसीयतनामा दिनांक 06.04.2017 के आधार पर प्रस्तुत कर इन्द्रदेव पिता रामलाल ब्राह्मण की समस्त कृषि आराजियात अपीलार्थी के नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की गयी है । जबकि वसीयतनामा दिनांक 06.04.2017 में अपीलार्थी कैलाश चन्द्र के पक्ष में इन्द्रदेव द्वारा गोदनामा रजिस्टर्ड किया जाना भी अंकित किया गया है। वसीयत स्वअर्जित सम्पत्ति की ही की जा सकती हैं, पैतृक सम्पत्ति की नहीं। वसीयतनामा दिनांक 06.04.2017 में अंकित आराजीयात वसीयतकर्ता इन्द्रदेव की स्वअर्जित होना भी प्रमाणित नहीं होती हैं। अपीलार्थी ने अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित होता हो कि नामान्तरकरण सं. 3245 में अभिलिखित आराजी इन्द्रदेव ब्राह्मण निवासी गंगापुर की स्वअर्जित हैं । इस प्रकार नामान्तरकरण सं. 3245 में अभिलिखित आराजी का रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 29.09.2004 के आधार पर कैलाशचन्द्र को गोदपुत्र दर्ज करना एवं लादी पुत्री इन्द्रदेव ब्राह्मण साकिन गंगापुर का नाम विरासत से दर्ज किये जाने में कोई त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं।

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सहाडा द्वारा ग्राम सहाडा के नामान्तरकरण सं. 3245 दिनांक 10.07.2017 को पारित निर्णय यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सहाड़ा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा